

2020 - 21 हनु

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961
(अनूनी नियम और आदेत)

प्रस्तुप 24क
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्तुप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के रामबाई फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- राजनीतिक दल का नाम : राजनीति श. ३१ (मान्त्रिक दल)
- राजनीतिक दल की प्रास्तिकी (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :
- राजनीतिक दल के मुख्यात्मक पता :
- निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है.....
- वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, वेर

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
१	श्रीराम	पुरुष	विशेष	विशेष	विशेष

* चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपातन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन

मैं (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री..... सत्यापिता से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रस्तुप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से..... की अपनी हेसियत में इस प्रस्तुप को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

(कोपाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

श्रीलोन्द्र बडार
राष्ट्रीय सभ्यका
शक्ति सेना (भारत देश)
भारत देश

तारीख :